प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक – 8 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 27 – 06 मार्च 2017 मूल्य पांच रूपए

चौधरी को मिली एक और राहत– फारखा के समकक्ष लाने के निर्देश

शिमला/बलदेव शर्मा

मुख्यसचिव की नियुक्ति में नजर अन्दाज हुए प्रदेश के वरिष्ठ आई ए एस अधिकारियों दीपक सानन और विनित चौधरी को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल चण्डीगढ़ द्वारा दी गयी पहली राहत में यह निर्देश हुए थे कि इन अधिकारियों को मुख्यसचिव वी सी फारखा के प्रशासनिक नियन्त्रण से बाहर करते हुए इन्हें समुचित नियुक्तियां दी जायें। कैट के इन निर्देशों के बाद इन अधिकारियों को प्रिंसिपल एडवाईजर बनाकर इन निर्देशों की अनुपालना कर दी गयी। इसके बाद सानन 31 जनवरी को रिटायर हो गये। इसके बाद जब यह मामला कैट में पुन: सुनवाई के लिये आया तब तक राज्य सरकार ने इसमें पूर्ण जवाब दायर नहीं किया जबकि अन्तरिम जवाब पहले ही दायर कर दिया गया था। अन्तरिम जबाब में राज्य सरकार ने दीपक सानन के खिलाफ चार्जशीट और विनित चौधरी के खिलाफ सी बी आई में एक पी ई लंबित होने को इनकी नजरअन्दाजी का कारण बताया था। लेकिन संपूर्ण जवाब दायर नही किया गया और कैट ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए न केवल राज्य सरकार को फटकार लगायी है बल्कि यहां तक कह दिया है कि यदि अगली तारीख तक यह जवाब न आया तो मुख्य सचिव वी सी फारखा की शक्तियां भी छीन ली जायेंगी। इसी के साथ विनित चौधरी को तुरन्त प्रभाव से मुख्य सचिव के समकक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदान की जायें।

जिस तरह के आदेश इस मामले में कैट से आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कैट ने इस प्रकरण का कड़ा संज्ञान लिया है। कैट के निर्देशों के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। विधानसभा में पूर्व मन्त्री भाजपा विधायक रविन्द्र रवि द्वारा इसका उल्लेख उठाया जाना इसका प्रमाण है। भले ही मुख्यमन्त्री द्वारा इस उल्लेख का कड़ा सज्ञांन लेने के बाद इसे सदन की कारवाई में दर्ज नहीं किया गया है लेकिन इससे इसकी गंभीरता और बढ़ गयी है। माना जा रहा है कि जब सरकार ने अन्तरिम जवाब में सानन और विनित चौधरी के खिलाफ मामलें लंबित होने का तर्क रखा है तो उसी अनुपात में पर्यटन निगम के पूर्व कर्मचारी नेता गोयल की फारखा के खिलाफ राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमन्त्री और सीबीआई तक को भेजी शिकायतों का संद्धर्भ भी कैट के सामने रखा जा चुका है क्योंकि सीबीआई ने गोयल की शिकायत को विधिवत् प्रदेश की विजिलैन्स को भेज रखा है। इस शिकायत से चौधरी और फारखा एक ही धरातल पर आ खड़े होते हैं।

इस परिदृश्य में यह चर्चा उठना स्वाभाविक है कि राज्य सरकार कैट में इस याचिका पर पूरा जवाब क्यों दायर नही कर पा रही है। याचिका में सरकार के खिलाफ ऐसे क्या गंभीर आरोप हैं जिनका जबाब देना कठिन हो रहा है। इस संद्धर्भ में यदि याचिका पर नजर डाली जाये तो उसके मुताबिक प्रदेश में मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव की दो ही काडर पोस्टें है। इनके अनुसार दो एक्स काडर पोस्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव के सृजित किये जा सकते हैं। इस तरह मुख्यसचिव और अतिरिक्त मुख्यसचिव के प्रदेश में केवल चार ही काडर पद हो सकते है। राज्य सरकार अपने काम के सुचारू निर्वहन के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव के अन्य पद तो सृजित कर सकती है लेकिन ऐसे पद केवल दो वर्ष के लिये रह सकते हैं और उसके बाद भी इन्हें चलाये रखने के लिये केन्द्र सरकार की अनुमति वाच्छित है और अनुमति के साथ भी केवल अगले तीन वर्ष तक ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे पदों को किसी भी गणित में नियमित काडर करार नहीं दिया जा सकता।

That as already explained in paragraph No. 23, since there is one cadre post of Chief Secretary and one post of Additional Chief Secretary in the State of Himachal Pradesh, therefore, by virtue of powers vested in the State Government, under Rule 9(7) of Pay Rules (supra), two more posts could have been created by the State Govt. in the apex scale. In terms of the said Rules the State Govt. created two ex-cadre posts against the sanctioned strength of State Deputation Reserves vide order, dated 20.08.2007 against which the cadre officers can be posted.

That thus these are the only four posts i.e. two cadre and two ex-cadre posts that are part of the sanctioned strength in accordance with the rules and form part of the State cadre.

That the State Govt., however, has the power to create posts of like nature to cadre posts by virtue of the second proviso to Rule 4(2) of the IAS (Cadre) Rules, 1954, whereby, the State Government may add for a period not exceeding two years and with the approval of the Central Government for a further period not exceeding three years, to a State or Joint Cadre one or more posts carrying duties or responsibilities of a like nature to cadre posts.

That as per Office Memorandum No.11030/4/2012-AIS -II dated 20th January 2015 issued by the Department of Personnel and Training, Govt. of India, clarified in para 3 of the OM ibid that many State Governments have been using the second proviso to Rule 4(2) of IAS Cadre Rules, 1954 for creation of additional ex-cadre posts.The relevant portion of the afore-mentioned OM is reproduced below:

" It is also observed that many State Governments have been using the second provison to Rule 4(2) of IAS Cadre Rules, 1954 for creation of

शेष पृष्ठ 2पर.....

नगर निगम वर्ष 2017-18 में 50 करोड़ का ऋण लेकर करेगी 44 करोड़ की बचत

शिमला/बलदेव शर्मा

नगर निगम शिमला के चुनाव इस वर्ष मई में होंगे। इन चुनावों को प्रदेश विधानसभा के चुनावों का प्रतीक माना जा रहा है। जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से निगम पर कांग्रेस का ही शासन चला आ रहा है। 2012 में धूमल शासन के दौरान भाजपा ने निगम पर कब्जे की रणनीति बनाई थी और इस नीति के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के सीधे चुनाव करवाने का फैसला लिया गया। लेकिन चुनावों की घोषणा के साथ ही सीपीएम चुनाव में आ गयी। सीपीएम के चुनाव में आने से मुकाबला तिकोना हो गया। सीपीएम मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों पर भारी बहुमत से जीत गयी। जबकि पार्षदों में बहुमत भाजपा को मिला। सीपीएम की इस जीत से घबरायी कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर के सीधे चुनाव के फैसले को फिर बदल दिया। भाजपा यह फैसला बदले जाने पर खामोश रही। इससे यह प्रमाणित होता है कि सीपीएम की इस जीत से भाजपा भी चिन्तित थी। अब फिर पार्षद ही मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बार सीपीएम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हर वार्ड में तिकोना मुकाबला होगा। यदि मई तक आते-आते आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में उतरती है तो यह चुनाव और रोचक हो जायेगा। सीपीएम को सारी सीटों पर चुनाव लड़ना राजनीतिक आवश्यकता होगी क्योंकि वह मेयर और डिप्टी मेयर दोनो पदों पर काबिज रही है। इसलिये चुनाव से पहले ही कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लेना सीपीएम के लिये आसान नही होगा। निगम के 2017 – 18 के लिये लाये गये बजट से भी यही प्रमाणित होता है।

सीपीएम ने इस कार्यकाल का अन्तिम बजट निगम के हाऊस में रखा है। इसके मुताबिक वर्ष 2017 – 18 में निगम की कुल आय 40167.27 लाख और कुल खर्च 35713.77 लाख होगा। इन आंकडो के मुताबिक वर्ष 2017 – 18 में निगम के पास 4453.50 लाख शेष बच जायेगा। यदि यह आंकडे सही साबित होते हैं तो इसका अर्थ होगा कि अगले वर्ष के लिये नगर निगम ने जितने भी कार्य प्रस्तावित किये हैं उन्हे पूरा करने में निगम को कोई परेशानी नही होगी। यदि वर्ष 2015 – 16 और 2016 – 17 के आंकडो पर नजर डाले तो 2015 – 16 में निगम को कुल आय 12625.52 लाख हुई है जबकि खर्च 11722.43 लाख हुआ है और इस तरह 903.09 लाख का लाभ निगम को हुआ। वर्ष 2016 – 17 के लिये कुल अनुमानित आय 18196.60 लाख और खर्च 21517.52 लाख था। लेकिन पहले नौ महीनों में आय 11552.04 लाख और खर्च 8192.58 लाख रहा है। इन आंकडो के बाद संशोधित आंकडे निगम के हाऊस में रखे गये। इनके मुताबिक अब कुल आय 18103.86 लाख और खर्च 15852.88 लाख रहेगा। इन आंकडो से यह उभरता है कि नगर के वर्ष 2016 – 17 के लिये आय और व्यय के घोषित अनुमानित लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये हैं। पहले नौ महीनों में निगम केवल 81 करोड़ 92 लाख 58 हजार खर्च कर पाया है और शेष बचे तीन महीनों में करीब दोगुणा खर्च का लक्ष्य रखा गया

शेष पृष्ठ 2पर.....

राज्यपाल ने भारतीय गायों के संरक्षण पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने स्वस्थ जीवन, मिट्टी की उर्वरकता तथा खेती – बाड़ी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भारतीय नस्ल की गायों के पालन की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल मंडी जिला के चौल चौक के नेहरा गांव में सुरभि गौ – धाम का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारा धार्मिक स्वभाव हमारी गतिविधियों तथा व्यवहारिकता में भी झलकना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश गाय जिन्हें हम गौमाता के नाम से भी सम्बोधित करते हैं, आज सड़कों पर विचर रही हैं। उन्होंने किसानों से गायों के संरक्षण तथा खेती – बाड़ी गतिविधियों में पशुधन को शामिल करने का आग्रह किया क्योंकि प्रत्येक संद्धर्भ में गायों की अहम भूमिका है।

आचार्य देवव्रत ने बताया कि स्विट्जरलैंड तथा आस्ट्रेलिया में भारतीय नस्ल के साथ – साथ जर्सी तथा होलेस्टियन फैन नस्लों पर अनेक प्रयोग किए गए। परन्तु वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय नस्ल की गायों का दूध सबसे स्वच्छ, सेहतमंद तथा रोग प्रतिरोधक शक्तिवर्धक है। इसके साथ ही विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है।

उन्होंने कहा कि यूरिया, डीएपी तथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता पर नकारात्मक असर पड़ा है तथा भावी पीढ़ियों के लिए कृषि को सुरक्षित रखने में भारतीय नस्ल की गायों का विशेष योगदान रहेगा। राज्यपाल ने भारतीय नस्ल की गायों के बारे कई तथ्यों पर प्रकाश डाला तथा कहा कि शारदा विश्वविद्यालय में यह प्रमाणित किया गया है कि एक ग्राम गाय के गोबर में तीन सौ करोड़ उपयोगी जीवाणु पाए जाते हैं। गौमूत्र अमृत के समान उपयोगी है और इसे अनेक आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है।

राज्यपाल ने समिति विशेषकर अभिषेक गुरूजी के गौसंरक्षण प्रयासों तथा सम्बन्धित अन्य गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने ऐसी पावन गतिविधियों में शामिल होने पर खुशी जाहिर की तथा आशा की कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से प्रदेश में भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण को बल मिलेगा।

उन्होंने मंडी क्षेत्र में भारतीय नस्ल की गायों को पालने सम्बन्धित गतिविधियों के लिए स्वदेशी सुरभि गौधाम को दो लाख रुपये देने की घोषणा की।

राज्यपाल ने क्षेत्र में भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण तथा पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल लोगों को भी सम्मानित किया।

स्वदेशी गौ – संघ समिति के मुख्य प्रबन्धक अभिषेक गुरू जी महाराज ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि गाय हमारे प्राचीन समृद्ध परम्परा का प्रतीक है तथा इसका संरक्षण आज के समय में अति आवश्यक है। उन्होंने गौसदन के उद्घाटन के लिए राज्यपाल का आभार प्रकट किया तथा उनसे प्रदेश में भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में राज्यपाल की उपस्थिति समाज में इस मुहिम को संभवतः एक नई दिशा देगी।

स्वदेशी गौ संघ समिति के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सांसद रामस्वरूप शर्मा, स्थानीय विधायक विनोद कुमार, जिला प्रशासन के अधिकारी तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

चौधरी को मिली एक और राहत

.....पृष्ठ 1 का शेष

additional ex-cadre posts. The Rule provided that a " State Government concerned may add for a period not exceeding two year [and with the approval of the Central Government for a further period not exceeding three years] to a State or a Joint Cadre one or more posts carrying duties or responsibilities of a like nature to cadre posts". The provision indicates that the temporary posts created may be restricted to one or two posts only. This provision, however, cannot be used for creating a post in the Apex level."

This communication from GOI makes it crystal clear that the temporary posts created may be restricted to one or two posts only. This provision, however, cannot be used for creating a post in the Apex level.

इस वस्तुस्थिति को सामने रखते हुए आज जितने पद इस तरह के सृजित किये जा चुके हैं उनको चलाये रखने पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। पी मित्रा की सेवानिवृति के बाद जब 31 – 5 – 16 को फारखा के आदेश हुए थे उस पर प्रोटैस्ट करते हुए चौधरी 1 – 6 – 2016 को 60 दिन के अवकाश पर चले गये थे। उसके बाद 30 – 07 – 16 को मुख्यमन्त्री को इस नजरअन्दाजी पर एक प्रतिवेदन सौंपा गया था। लेकिन आर टी आई में ली गयी जानकारी के मुताबिक यह प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री के समक्ष रखने से पहले ही फाईल कर दिया गया। इससे आहत होकर अन्ततः विनित चौधरी को कैट में दस्तक देनी पड़ी है। अब चौधरी को फारखा के समकक्ष लाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि सरकार उन्हें फारखा के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं तो इसका अर्थ होगा मुख्यसचिव का एक और पद सृजित करना, जो कि नियमों के मुताबिक संभव नही होगा। बल्कि इस समय प्रिंसिपल एडवाईजर का जो पद दिया गया है वह भी रूल्ज ऑफ विजनैस के तहत परिभाषित नही है। इस तरह यह पूरा मामला बेहद रोचक हो गया है और इसमें जो भी फैसला आयेगा उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा।

नगर निगम वर्ष 2017-18 में 50 करोड़

.....पृष्ठ 1 का शेष

है। क्या तीन महीनों में यह शेष बचा खर्च हो पायेगा? इसको लेकर अभी से सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि वर्ष 2015 – 16 में निगम की कुल आय 12625.52 लाख थी जो कि 2016 – 17 में 18196.60 लाख अनुमानित थी। यह आय अब वर्ष 2017 – 18 के लिये 40167.27 लाख अनुमानित दिखायी गयी है। यह पिछले वर्ष के दो गुणा से भी अधिक है। निगम ने 2017 – 18 के बजट में कोई नये कर नहीं लगाये हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि निगम को यह आय कहां से होगी? क्या निगम की कर वसूली की दर में सुधार लाकर यह आय बढ़ेगी या इसके लिये ऋण लेकर आय को बढ़ाया जायेगा।

निगम को संपति कर से 2015 – 16 में 2204.10 लाख और 2016 – 17 में 1502.88 लाख की आय हुई है 2017 – 18 में इससे 1702. 88 लाख का अनुमान है। राज्य वित्तायोग की सिफारिशों से 2015 – 16 में 2518.18 लाख, 2016 – 17 में 2580.67 लाख मिले है, 2017 – 18 में 2614 लाख का अनुमान है। किराये, शराब बिक्री, लीज और पार्किंग फीस आदि से 745.10 लाख, यूज़र चार्जिज़ आदि से 6662.90 लाख, सेल हायर चार्जिज से 35 लाख, केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग से 10430.80 लाख, ब्याज से 1 करोड़, बचत खातों के ब्याज से 35 लाख, अन्य साधनों से 22.50 लाख आय का अनुमान है। इस तरह कुल राजस्व आय 22348.48 लाख रहने का अनुमान है। इसके साथ पूंजीगत आय 12818.79 लाख का अनुमान है। इसमें सब्जी मण्डी में शॉपिंग काम्लैक्स के निर्माण, स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिये वित्तिय संस्थानों से 50 करोड का ऋण लेना भी शामिल है। खर्चो के नाम पर निगम का राजस्व व्यय 9551.22 लाख, प्रशासनिक व्यय 292. 68 लाख निगम की ढांचागत परिसंपत्तियों के रख – रखाव पर 10586. 50 लाख राजस्व अनुदान/उपदान आदि के तहत 264.00 लाख। इस तरह कुल राजस्व व्यय 20700.50 लाख रहने का अनुमान है। इसके साथ वर्ष 2017 – 18 में पूंजीगत व्यय 15013. 27 लाख रहने का अनुमान है। इस वर्ष के अन्त में निगम की कुल आय उसके कुल खर्च से 4453.50 लाख बढ़ जाती है। इस पर फिर सवाल उठता है कि जब खर्च से आय अधिक है तो फिर 50 करोड़ का ऋण लेने का क्या औचित्य है।

HPPWD NOTICE INVITING TENDER BHARWAIN DIVISION HPPWD BHARWAIN TEHSIL AMB DISTRICT UNA (H.P).

Sealed tenders on item rates basis are hereby invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh by the the Executive Engineer Bharwain Division HPPWD. Bharwain Tehsil District Una (HP) from the experienced contractors/ firms enlisted in appropriate class with Himachal Pradesh PWD for the following works. The tender shall be received in his office on or before **10.04.2017 upto 10:30 A.M.** and shall be opened on the same day at **11:00 A.M.** in the presence of contractors/ firms or their authorized representatives. Who wish to be present at the time of opening of tenders. The tender applications shall be entertained and tender form shall be sold up to two days before the date of opening of tender i.e **07.04.2017 upto 12:00 Noon.** Draft Notice inviting Tenders/ Drawing/Specifications can be seen in the office of the Executive Engineer on any working day between **11:00 A.M. to 400 P.M.** Ambiguous /Telegraphic / conditional tenders or tender by Fax shall not be entertained/considered in any case. The earnest money in the shape of National Saving Certificate /time Deposit Account/FDR in any of the Post office in H.P. /Nationalized Bank duly pledged in favour of Executive Engineer must be accompanied with the application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will out rightly be rejected. The contractor shall accompany his enlistment/ renewal orders with his application for obtaining the tender documents. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reasons. The work will be completed by the contractor within the stipulated period. The contractor will have to submit his registration under the H.P. General Sale Tax Act. 1968 and also Labour License under contract Act 1970 from the competent authority . The contractors/ Firms are requested to insert the rate of each item in words as well as failing which XEN reserves to those right to accept/ reject any or overall tenders. The tender shall only be issued to those contractors /firms who are found eligible/suitable and competent as per the above conditions . The offer shall remain valid up to 45 days after the opening of tender. If any of the date mentioned above happens to be Local /Gazetted Holidays the same shall be process on next date.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Form No.	Cost of form	Class of contractor
1.	Special repair/renovation of Govt. Degree College Daulatpur Chowk Tehsil Ghanari Distt Una (SH:- Providing & Laying Lime concreteterracing wood work. Painting etc) Deposit work.	971106/-	19500/-	Three Months	PWD-8	350/-	Class D&C
2.	Special repair/renovation of Govt. Degree College Daulatpur Chowk Tehsil Ghanari Distt Una (SH:- Providing & fixing 10mm thick antiskid floor tiles in Ground Floor i/e dismantling etc)	989776/- Class	19800/-	Three Months	PWD-8	350/-	D&C
3.	Special repair/renovation of Govt. Degree College Daulatpur Chowk Tehsil Ghanari Distt Una (SH:- Providing& fixing 10mm thick antiskid floor tiles in Ground Floor i/e dismantling etc)	997763/-	20000/-	Three Months	PWD-8	350/-	Class D&C
4.	Restoration of rain damages on Daulatpur to Shankar Nagar road km 0/0 to 11/600 road (SH:- C/o crossing at RD 8/960 and 10/435)	211701/-	4252/-	Three Months	PWD-8	350/-	Class D&C
5.	C/o Link road Fatehpur to Kabirpanthian Mohalla Tundkhari km 0/0 to 1/800 (SH:- C/o wire creates at RD 0/390 to 0/405) under SCCP	247411/-	5000/-	Three Months	PWD-8	350/-	Class D&C

Adv. No.- 4497/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER

Sealed item rate tenders are hereby inviting on behalf of Governor of Himachal Pradesh by the Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.PWD. so as to reach in the office on or before 22.03.2017 11:00 am. And will be opened on the same day at 11:30 a.m. in the presences of the intending contractors/ firms or their authorized representatives . who wish to be present. Application for tender form should be submitted to his office (Chopal Division HPPWD Chopal) against cash payment (Non -Refundable) on any working day during the office on hours up to 4:00 PM dated 20.03.2017 and tender documents cane be had on from his office on 21.03.2017 at 11:00 am upto 4:00 PM No tender form documents will be issued at ster 4:00 P.M on Scheduled date. If the office happens to be closed on the scheduled date the tender form documents will be sold/opened on the next working day at the same time and venue.

The earnest money in the shape of FDR/NCS purchase from any nationalized Bank or Post Office Shall be deposited duly pledged in favour of the Executive Engineer, Chopal Division HPPWD Chopal must accompany with summarily be rejected. The offer of the tenders shall be opened for 90 days. The XEN reserves the right to reject /accept the tenders without assigning any reason. The copy of the Latest renewal /enlistment EPF of Labour act PAN Number and GSTs/CST/TIN number must also accompany the application for the tender documents.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of form	Time
1.	C/o Veterinary Dispensary Building at Chopal Disst. Shimla (SH:- c/o Building portion, WS& IS)	650000/-	13000/-	350/-	Six Months
2.	C/o Veterinary Dispensary Building at Bamta Disst. Shimla (SH:- c/o Building portion, WS& IS)	650000/-	13000/-	350/-	Six Months
3.	Consultancy services for c/o 50.00MTR span foot bridge at Beedi on Shallu Khud (SH: Perparation of Structural drawing and design)	210000/-	4200/-	350/-	One Month

Adv. No.- 4509/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

बेरोजगारी भत्ते पर वीरभद्र के खिलाफ उतरी कांग्रेस

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अपने ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मुहिम छेड़ने पर उतारू हो गई है। बेरोजगारी भत्ते के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री की फजीहत जनता के बीच करनी तो शुरू कर ही दी है साथ ही आलाकमान तक भी सदेश पहुंचाया जा रहा है। राजधानी में नोटबंदी को लेकर पार्टी ने जनवेदना सम्मेलन बुलाया था।

इस सम्मेलन मे पार्टी के नेताओं ने कहा कि 2012 के चुनावों में प्रदेश के लोगों तथा मतदाताओं के सामने घोषणा पत्र में जो वायदे किये गये थे उन्हें पूरा करना हमारा दायित्व है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता भी शामिल है ये भी लागू होना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि इस बारे सम्मेलन में मौजूद सभी वक्ताओं ने अपने- अपने विचार रखे जिसकी पूरी फीडबैक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सरकार को दी जाएगी। उन्होंनें कहा कि इस संदर्भ पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा कर इसका हल निकाले।

साफ है कि इस मसले पर पार्टी नेता मुख्यमंत्री को घेरने पर आ गए हैं। इस बैठक में केबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर, विद्या स्टोक्स और कर्ण सिंह भी मौजूद थे। जबकि आलाकमान की ओर से प्रदेश प्रभारी निर्मल सिंह व सह प्रभारी शादी लाल बत्रा खासतौर पर मौजूद थे। इन सबके सामने ये मसला उठाया गया व कहा गया कि सरकार बेरोजगारी भत्ते को लागू करने में नाकाम रही है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भता मिलना चाहिए।

इससे पहले केबिनेट मंत्री जी एस बाली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खु, राज्य सभा सांसद विप्लव ठाकुर इस मसले को उठा चुके हैं। जबकि राज्य सभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व गांधी परिवार के लाडले आनंद शर्मा इस मसले पर कह गए है कि वो इस मसले पर सीएम वीरभद्र सिंह से बात करेंगे। जो भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पार्टी ने इस मसले पर फंसा दिया है। जबकि बीजेपी भी अब हमलावर हो रही है। मजेदार ये रहा कि इस सम्मेलन से मुख्यमंत्री खुद गायब रहे।

पार्टी ने नोटबंदी के खिलाफ जनवेदना सम्मेलन का आयोजन किया था।

पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि नोटबन्दी के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कहे के विपरित देश में आर्थिक अराजकता व बेरोजगारी और अधिक बड़ी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सम्मेलन में प्रदेश सरकार की चार साल की उपलब्धियों व अभूतपूर्व विकास कार्यो को कांग्रेस का कार्यकर्ता किस तरह से आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करने और साथ ही केन्द्र की मोदी सरकार की ढाई पौने तीन साल की विफलताओं से प्रदेश की जनता को अवगत करवाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर भी मंथन हुआ। इसके अलावा सम्मेलन में कांग्रेस के घोषणा पत्र और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार करने पर भी विचार किया गया।

राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 8882 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने फरवरी, 2015 से 8882 मामलों का निपटारा किया, जिनमें 7853 नए मामले और 1029 मामले उच्च न्यायालय से प्राप्त हैं।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में कुल 21004 दायर किए गए, जिनमें 14606 नए मामले और 6398 मामले हि.प्र. उच्च न्यायालय से स्थानांतरित हैं। इसके अतिरिक्त, ट्रिब्यूनल ने इस अवधि के दौरान 167 अवमानना याचिकाएं, 12 समीक्षा याचिकाएं, नौ एक्स याचिकाएं और 4160 विविध आवेदनों का भी निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल ने 2009 से पहले के पुराने मामलों का प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्णय लिया है ताकि लम्बित मामलों को निपटाया जा सके।

आईजीएमसी में 31 टांडा मेडिकल कालेज में 8 स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ी

शिमला/शैल। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज शिमला तथा डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कालेज टांडा में स्नात्कोत्तर की कुल 39 सीटें बढ़ाने की अनुशंसा की है। शिक्षक – शिक्षार्थी अनुपात में संशोधन के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2017 – 18 से आईजीएमसी में 31 सीटें तथा 8 सीटें टांडा मेडिकल कालेज में बढ़ाई गई हैं। आईजीएमसी में बढ़ाई गई सीटों में एमडी जनरल मेडिसिन की मौजूदा 9 सीटों को बढ़ाकर 13 किया गया है जबकि एमएस सामान्य सर्जरी में 3 सीटें, एमएस आर्थोपेडिक्स में एक सीट, एमएस ओबीजी में 7 सीटें, एमएस ईएनटी में एक सीट, एमडी रेडियो डॉयगनोसिस में 9 सीटें, एमडी एनेस्थिसियोलॉजी में 5 सीटें तथा एमडी रेसपायरेटरी मेडिसन में एक सीट बढ़ाई गई है।

इसी प्रकार, टांडा मेडिकल कालेज में एमडी पेडियट्रिक्स में एक सीट, एमएस आर्थोपेडिक्स में 3 सीटें तथा एमडी एनेस्थिसियोलॉजी में 4 सीटें बढ़ाई गई हैं।

वीरभद्र सरकार दिखा रही है केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति उदासीनता: अनुराग ठाकुर

शिमला/जे.पी.भारद्वाज

सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति लगातार उदासीनता दिखा रहे है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से देहरा में बनने वाले कैंपस की पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बावजूद केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण में प्रदेश सरकार कोई दिलचस्पी नहीं ले रही और काम आधे में लटकाकर केंद्रीय विश्वविद्यालय को किराये के भवनों में चलाने पर मजबूर कर रही है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू करवाते और इसे गंभीरता से लेते, तो पिछले चार सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य काफी हद तक पूर्ण हो जाता और केंद्रीय विश्वविद्यालय पर अपने स्थापना के 10 साल बाद भी किराये वाले भवन में चलाने की नौबत नहीं आती और न ही नए कोर्स शुरू करने के लिए नए भवन ढूंढने की जरुरत पड़ती। यह वीरभद्र सिंह की केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति उदासीनता ही दिखाता है।

यह भी गौर करने की बात है कि हिमाचल प्रदेश के साथ और 15 राज्यों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय मंजूर हुए थे और हिमाचल प्रदेश के अलावा बाकि सभी राज्यों में इनके निर्माण में काफी प्रगति हो चुकी है और कईयों ने अपने स्थायी कैंपस से कार्य करना शुरू कर दिया है और केवल हिमाचल प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां अभी इसकी ईट तक नहीं लग पाई है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा तथा देहरा साईट की मंजूरी यूपीए सरकार के समय हो गयी थी लेकिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस पर राजनीति कर एक ही जिले के लोगों को एक दुसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को विद्यार्थियों और कांगड़ा की जनता के हित में इस पर राजनीति बंद करके पहले से ही चयनित और मंजूर देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम तुरंत शुरू करवाना चाहिए।

केवल CM वीरभद्र के पुत्र विक्रमादित्य को मिला कौशल विकास के तहत रोजगार

शिमला/जे.पी.भारद्वाज

प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि कौशल विकास योजना के तहत केवल उनके पुत्र विकमादित्य को रोजगार मिला है। प्रदेश में बाकी किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। भाजपा के शिमला से विधायक व विधानसभा मे चीफ सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का नाम लेकर कहा कि केवल उन्हें ही रोजगार मिला है। उन्हें कौशल विकास निगम में डायरेक्टर लगाया है।

ये पूछे जाने पर कि अगर भाजपा सता में आती है तो क्या वो बेरोजगारी भता सबको देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ये बाद में बताएगी अभी तो कांग्रेस सरकार से जवाब तलब कर रहें है। उन्होंने कहा चूंकि सरकार में मंत्री जी एस बाली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू, राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर इस मसले पर अपनी ही सरकार से सवाल उठा चुकी है।

भारद्वाज ने कहा कि वीरभद्र सिंह ये दावा करते है कि घोषणापत्र को उनकी सरकार ने सरकारी दस्तावेज बना दिया है। ऐसे में वो बताएं की बेरोजगारी भत्ते पर क्या स्थिति है। ये सवाल भाजपा विधानसभा के एक मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में भी उठाएगी। कौशल विकास भत्ते के नाम पर एचआरटीसी में कंडक्टर रखे गए थे उन्हें दो महीने महीने बाद निकाला जा रहा है।

इस इल्जाम के अलावा उन्होने कांग्रेस के नेताओं पर एक और बड़ा इल्जाम लगाया कि आउटसोर्स के तहत कांगेसी नेताओं की कंपनियों के जरिए केवल अपने लोगो को नौकरी पर लगाया गया है। उन्होंने किसी ब्लू लाईन नामक कंपनी का नाम भी लिया। ये पूछे जाने पर कि ये कंपनियां किस कांग्रेस नेता की हैं वो नाम बताएं। भारद्वाज बोले, समय आने पर बताएंगे। ये पूछे जाने पर क्या अभी उनके पास नाम नहीं है तो बोले, चार्जशीट में भी जिक्र किया गया है। उन्होंने किसी कांग्रेसी नेता का नाम नहीं लिया।

मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार जगत प्रकाश नड्डा खेमे के माने जाने वाले भारद्वाज ने कहा राज्य में बैकडोर एंट्री का दौर चला हुआ है। चहेतों को नौकरियों दी जा रही हैं व जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

बहरहाल, आउटसोर्स पर रखे गए लोगों को बीजेपी सरकार सता आने में पर हटाएगी या नियमित करेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जिक्र वो अपने घोषणा पत्र में करेंगे। संभवत: भाजपा इस मसले पर खुद भी क्लीयर नहीं है। कम से कम भारद्वाज के जवाबों से तो यही लग रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर व्यंग्य भी कसे व कहा कि लोग स्कूल खोलने की मांग रखते हैं तो वो बोलते हैं नहीं यहां वो कॉलेज खोलेंगे। लोग पटवार खाना खोलने की मांग लेकर आते हैं तो वो एसडीएम कार्यालय खोलने चले जाते हैं। जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की जा रही है। वहां पर मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। जबकि मेडिकल यूनिवर्सिटी आइजीएमसी में खोली जानी चाहिए थी। आईजीएमसी में सुपर स्पेशियलिटी के लिए पैसा आया है लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनको मल्याणा में खोला जाएगा। अस्पताल से 10 – 15 किलोमीटर दूर सुपर स्पेशियलिटी खोलने के कोई मायने नहीं हैं। जबकि आइजीएमसी में जगह है। आइजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर नहीं खुल पाया, इमरजेंसी शुरू नहीं हो पाई। केंद्र से तमाम चीजों के लिए पैसा आया हुआ है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer] Bislaspur Division No. 1 HPPWD Bilaspur , for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HPPWD whose registration stood renewed as per the revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh , general Sales Tax Act. 1968. The important dates of the tenders are as under:-

Date of application:	**30.03.2017**
Date of Sale of tender form:	**01.04.2017**
Date of opening of tender.	**03.04.2017**

The tenders shall be received up to 10:30 A.M. on 03.04.2017 and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives, who may like to be present. The tender forms can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on 01.04.2017.

The Earnest Money in the shape of National Saving Certificate /Deposit at call /Time Deposit Account in any of the Post-office /National Saving duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No. I HPPWD. Bilaspur must accompany with the each application . Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The XEN reserves the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Cost of Tender form (In Rs.)	Time
1.	Improvement of Black spot on link road Fish Farm Deoli to Chaumlog Via kanjyota km 0/ to 3/700. (SH: C/o R/wall and providing and Laying erecting "W" metal beam crsh barrier at RD 1/645 to 1/660)	6,91,377/-	13,900/-	350/-	Three Months
2.	Improvement of Black spot on link road Planighat to Nog km 0/0 to 2/900. (SH:B/wall with 15% plum at RD 0/43 to 0/465)	2,61,612/-	53,00/-	350/-	Two Months
3.	Restoration of rain damages on Chandigrah Mandi Manali road km 127 / 0 to 156/ 750. (SH:- C/o B/wall at RD. 143 /600 to 143/630 against digging amount deposit by various Telecom. Companies)	3,71,029/-	7,450/-	350/-	Two Months
4.	Restoration of rain damages on Chandigrah Mandi Manali raod km 127/ 0 to 156/750. (SH:- C/o B/wall at RD 143/600 to 143/630 against digging amount deposit by various Telecom. Companies)	2,30,924/-	4,650/-	350/-	Two Months
5.	Construction of fencing /boundary wall around DSP Vigilance Quarter office , Residence and staff residence Quarter at Changer Sector Bilaspur.	2,12,832/-	4,300/-	350/-	Three Months

Terms and Conditions:

1. The contactors should have executed two similar type of works 1/3 of each amount put to tender or single work of amount equal to the amount put to tender within last 3 years.
2. The list of similar type of work executed & **work done performance certificate** issued by the concerned Executive Engineer should be accompanied with application
3. The **Earnest Money** should be accompanied with application . Application without earnest money will be rejected.
4. The photo copy of **PAN Number** should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
5. The cost of tender form in prescribed form (non-Refundable) in form of cash in favour of Executive Engineer , Bilaspur Division No. I HPPWD Bilaspur.
6. Copy of **contractor registration** should be attached with the application.
7. The copy of Tin No. should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.

Adv. No.- 4647/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

सर्प, नृप, शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों, और एक मूर्खः इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए.....चाणक्य

सम्पादकीय

सत्ता की बिसात पर राजधानी का पासा

वीरभद्र मन्त्रीमण्डल ने वीरभद्र की धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। मन्त्रीमण्डल की स्वीकृत के बाद सरकार का यह फैसला वाकायदा अधिसूचित हो जायेगा। फैसला अधिसूचित होने के साथ ही मन्त्रीमण्डल में रखे गये इस आश्य के प्रस्ताव की Statement of objects भी सामने आ जायेगी। उससे सरकार की नीयत और नीति साफ हो जायेगी कि यह दूसरी राजधानी अंशकालिक है या नियमित। क्योकि अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक सर्दीयों के दो माह ही धर्मशाला में राजधानी रेहगी। यदि दो माह ही धर्मशाला में यह राजधानी रहनी है तो सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है क्योकि जब राजधानी अधीसूचित हो जायेगी तब सरकार के सारे कार्यालय मुख्यसचिव से लेकर नीचे तक वहां स्थित होने आवश्यक हो जायेंगे। इसमें हर विभाग का निदेशालय और उससे जुड़ा सचिवालय प्रभाग रहेगा। इस समय सरकार के साठ से अधिक विभाग हैं जिनके अपने – अपने निदेशालय होते है। सचिव स्तर पर तो एक सचिव के पास कई विभाग हो सकते हैं लेकिन एक ही निदेशालय अन्य निदेशालयों का काम नहीं कर सकता। इसलिये प्रशासनिक अर्थो में राजधानी एक संपूर्ण ईकाई है जिसे खण्डों में विभाजित नही किया जा सकता। यदि सचिव स्तर के अधिकारी ही बिना उनके निदेशालयों के वहां बिठाये जायेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा और केवल दो माह के लिये निदेशालय से लेकर सचिवालय स्तर तक सारा कुछ स्थानान्तरित कर पाना या करना न तो व्यवहारिक होगा और न ही संभव। इस तरह का प्रयोग और प्रयास केवल वित्तिय बोझ बढ़ाना ही होगा।

मन्त्रीमण्डल ने इन सारे पक्षों पर विचार किया है या नहीं? मन्त्रीमण्डल के सामने रखे गये प्रस्ताव में संबधित प्रशासन ने यह सारी स्थिति रिकार्ड पर लायी है या नही। इसका खुलासा तो आने समय में ही होगा। लेकिन इस समय प्रदेश की जो वित्तिय स्थिति है उसके मुताबिक प्रदेश का कर्जभार 31 मार्च को 50 हजार करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है क्योकि 2016 – 17 को जब बजट सदन में पारित किया गया था उसमें 69084 करोड़ ऋण के माध्यम से जुटाया जाना दर्शाया गया था। अब इसी वर्ष के लिये 3940 करोड़ की अनुपूरक मागे पारित की गयी है। जिसका अर्थ है कि यह खर्च पहले पारित हुए अनुमानों से बढ़ गया है। स्वाभाविक है कि बढ़े हुए खर्च के लिये धन या तो जनता पर कर लगाकर किया गया है या फिर कर्ज लेकर। इसका खुलासा भी आने वाले बजट दस्तावेजों में सामने आ जायेगा। कुल मिलाकर प्रदेश कर्ज के बोझ तले इतना डूब चुका है कि यदि यह चलन न रूका तो भविष्य कठिन हो जायेगा। ऐसी स्थिति मे हर तरह के अनुत्पादक खर्चो को रोका जाता है न कि बढ़ाया जाता है। प्रदेश की वित्तिय स्थिति किसी भी तर्क से इस समय यह अनुमति नहीं देती है कि केवल दो माह के लिये धर्मशाला को राजधानी बनाया जाये।

प्रशासनिक और वित्तिय पक्षों के बाद केवल राजनीतिक पक्ष रह जाता है। राजनीतिक वस्तुस्थिति का यदि निष्पक्षता से आकलन किया जाये तो इस समय केन्द्र में भाजपा की सरकार है और लोक सभा की चारों सीटें कांग्रेस वीरभद्र के नेतृत्व में बुरी तरह से हारी हुई है। वीरभद्र और उनका परिवार आय से अधिक संपति को लेकर आयकर सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहा है। जबकि भाजपा और धूमल शासन के कार्यकाल को लेकर जो भी मामले वीरभद्र सरकार ने बनाये है उनमें एक भी मामले में सफलता नही मिली है। बल्कि कुछ मामलों में तो सर्वोच्च न्यायालय में हार का मुंह देखना पड़ा है। बाबा रामदेव के मामले में वीरभद्र ने जो यूटर्न लिया है उससे तो वीरभद्र सरकार ने स्वयं मान लिया है कि यह मामले गलत बनाये गये थे। राजनीति के इस व्यवहारिक पक्ष में भी कांग्रेस और वीरभद्र भाजपा धूमल के सामने बहुत कमजोर सिद्ध होते है। फिर प्रदेश की राजनीति में डा. परमार के बाद कोई भी सरकार रिपिट नहीं हो पायी है। ऐसे में आज कांग्रेस वीरभद्र सिंह को जो सातवी बार मुख्यमन्त्री की शपथ दिलाने का जो दावा कर रही है उस दिशा में धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाकर प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा को प्रभावित करने के लिये यह पासा फैंक रही है। लेकिन इससे शिमला, सोलन और सिरमौर के लोग नाराज होंगे। मण्डी में भी यह मांग उठेगी की दूसरी राजधानी यहां क्यों नही। वीरभद्र यह फैसला कांग्रेस को चुनावी लाभ देने की बजाये नुकसान देने वाला सिद्ध हो सकता है क्योंकि जब अब एक बार दूसरी राजधानी बनाये जाने के लिये मन्त्रीमण्डल के स्तर पर फैसला ले लिया गया है तो आने वाले समय में भी हर सरकार को इस दिशा में आगे ही बढ़ना होगा। कोई भी सरकार इस फैसले को राजनीति के चुनावी गणित के साथ जोड़कर ही देखगी। जैसे की धर्मशाला में स्थित विधानसभा भवन की कोई सही उपयोगिता आज तक नही हो पायी है। सभी इसे एक अवांच्छित फैसला करार देते रहे हैं लेकिन इसे बदलने का प्रस्ताव आज तक कोई नहीं ला पाया है। ऐसा ही इस राजधानी के नाम पर होगा यह तय है।

स्व. कालिखो पुल की पत्नी की उपराष्ट्रपति से गुहार एफ आई आर दर्ज करने की मांग

✔देश के नामी वकीलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अरूणाचल के पूर्व सीएम स्व. कलिखों पुल की पत्नी के साथ जाकर उप राष्ट्रपति के सरकारी आवास में एक चिट्ठी देकर उनसे स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम द्वारा कलिखोपुल के सूसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की जांच कराने की मांग की गई हैं।

सीजेएआर के सेक्रेटरी चेरिल डिसूजा के हवाले से मीडिया को स्व. पुल की पत्नी की ओर से उप राष्ट्रपति को लिखी ये चिट्ठी जारी की गई हैं कि डिसूजा की ओर से कहा गया है। उप राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर चिट्ठी देने वालों में स्व. कलिखोपुल की पत्नी के अलावा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, कार्यकर्ता हर्षमंदर, योगेंद्र यादव, अंजलि भारद्वाज समेत कई लोग शामिल थे। उपराष्ट्रपति से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई हैं।

यह है पत्रः –

To
The Hon'ble Shri M- Hamid Ansari
The Vice President of India
Maulana Azad Road,
New Delhi&110001

Subject: Filing of FIR and Investigation into the allegations contained in my husband Late Kalikho Pul's suicide note in terms of the judgment of Supreme Court in K- Veeraswami v- Union of India-

Dear Ansari Ji,

You must be aware that my husband Late Kalikho Pul who was the Chief Minister of Arunachal Pradesh from 19th February to 13thJuly 2016 committed suicide on 9th August 2016- At the time of discovery of his body hanging from a ceiling fan in the official CM's bungalow, 10 copies of a 60-page suicide note (each copy signed in original on every page by him) and dated 8th August 2016 was found. This note titled "Mere Vichaar" briefly details his life history and thereafter shows his anguish about the corrupt state of affairs in politics and in the judiciary in the country. He details several allegations of corruption against politicians and judges from his personal knowledge. In particular, the note contains allegations of corruption against the sitting Chief Justice of India and the next Judge in superiority in the Supreme Court and also against the present President of India.

The Inquest Report in Case No. 14 of 2016 made under Section 174 of CrPC by Itanagar Police Station has inter-alia, acknowledged that the Additional District Magistrate had seized during examination of place of occurrence of suicide, inter-alia, "Note containing page 1-60 in four (4) sets signed by late Kalikho Pul with caption in Hindi "मेरे विचार" The said Report concludes that, "Investigation reveals that on 09/08/2016 at between 0500 hrs to 0900 hrs Lt. Kalikho Pul committed suicide by hanging on the ceiling fan at Pranayama room of HCM Bungalow." The following observations are made during the investigation process:

He was under depression after his removal from the CM post.

His act of writing his biography is also pointing towards his intention..." (Copy enclosed)

Given the gravity of the allegations contained in the note and the fact that many of them are from his personal knowledge and that a suicide note is treated like a dying declaration, this matter needs to be seriously investigated by a credible investigation team. However, since it also involves the Chief Justice and another sitting Judge of the Supreme Court, to protect the independence of the judiciary, it should not be investigated by any investigative body controlled by the Government.

It was to protect the independence of the judiciary that the Supreme Court in Veeraswami's case said that any allegations against the sitting judges of the higher judiciary can only be investigated by an investigating authority after obtaining the prior permission of the Chief Justice of India. The operative part of the said judgment is reproduced below;

"60……We therefore, direct that no criminal case shall be registered under Section 154, Cr. P.C. against Judge of the High Court] Chief Justice of High Court or Judge of the Supreme Court unless the Chief Justice of India is consulted in the matter- Due regard must be given by the Government to the opinion expressed by the Chief Justice. If the Chief Justice is of opinion that it is not a fit case for proceeding under the Act, the case shall not be registered. If the Chief Justice of India himself is the person against whom the allegations of criminal misconduct are received the Government shall consult any other Judge or Judges of the Supreme Court. There shall be similar consultation at the stage of examining the question of granting sanction for prosecution and it shall be necessary and appropriate that the question of sanction be guided by and in accordance with the advice of the Chief Justice of India. Accordingly, the directions shall go to the Government."

The judgment says that in case there are allegations against the Chief Justice, the President will consult other judges. This, in terms of the spirit of the judgment, would mean the judge/judges next in seniority.

Since in this case the allegations are also against the sitting Chief Justice and the sitting President of India, I am therefore addressing this request to you to exercise the authority which normally the President would have exercised in terms of the Veeraswami's judgment which also held:

"12…The President, therefore, being the authority competent to appoint and to remove a Judge, of course in accordance with the procedure envisaged in Article 124, clauses (4) and (5) of the Constitution, may be deemed to be the authority to grant sanction for prosecution of a Judge under the provisions of Section 6(1)(c) in respect of the offences provided in section 5(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1947. In order to adequately protect a Judge from frivolous prosecution and unnecessary harassment the President will consult the Chief Justice of India who will consider all the materials placed before him and tender his advice to the President for giving sanction to launch prosecution or for filing FIR against the Judge concerned after being satisfied in the matter. The President shall act in accordance with advice given by the Chief Justice of India If the Chief Justice of India. If the chief Justices of opinion that it is not a fit case for grant of sanction for prosecution of the Judge concerned the President shall not accord sanction to prosecute the Judge; This will save the Judge concerned from unnecessary harassment as well as from frivolous prosecution against him as suggested by my learned brother Shetty, J. in his judgment. Similarly, in the case of Chief Justice of the Supreme Court the President shall consult such of the Judges of the Supreme Court as he may deem fit and proper and the President shall act in accordance with the advice given to him by the Judge or Judges of the Supreme Court."

"45…In this view, the President can be considered as the authority to grant sanction for prosecution of a Judge since the order of the President for the removal of a Judge is mandatory."

"54. The emphasis on this point should not appear superfluous. Prof. Jackson says "Misbehaviour by a Judge, whether it takes place on the bench or off the bench, undermines public confidence in the administration of justice, and also damages public respect for the law of the land; if nothing is seen to be done about it, the damage goes unrepaired. This must be so when the judge commits a serious criminal offence and remains in office". (Jackson's Machinery of Justice by J.R.Spencer, 8th edn. pp. 369-70)."

"55….The proved "misbehaviour" which is the basis for removal of a Judge under clause (4) of Article 124 of the Constitution may also in certain cases involve an offence of criminal misconduct under Section 5(1) of the Act- But that is no ground for withholding criminal prosecution till the Judge is removed by Parliament as suggested by counsel for the appellant. One is the power of Parliament and the other is the jurisdiction of a criminal court. Both are mutually exclusive."

"56….But we know of no law providing protection for Judges from criminal prosecution. Article 361(2) confers immunity from criminal prosecution only to the President and Governors of States and to no others. Even that immunity has been limited during their term of office. The Judges are liable to be dealt with just the same way as any other person in respect of criminal offence. It is only in taking of bribes or with regard to the offence of corruption the sanction for criminal prosecution is required."

I am, therefore, requesting you to consult other judges in terms of Veeraswami's judgment and permit filing of an FIR against the Hon'ble Chief Justice of India and Hon'ble Justice Dipak Misra. If these allegations are not credibly investigated, a serious cloud of suspicion will continue to remain over the politicians and judges whose names are mentioned in the suicide note. This would be most unfortunate for our democracy as well as for the judiciary. A credible investigation in this matter can only be done by an SIT constituted by 3/5 judges next in seniority to the judges named in the note.

I, therefore, request you to consult those judges and also request them to name an appropriate SIT which can credibly investigate these allegations.

कालीखो पुल का मृत्यु से पहले लिखा नोट

कालीखो पुल अरूणाचल के मुख्यमन्त्री थे। उन्होने अरूणाचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ रखा था। लेकिन इस भ्रष्टाचार में प्रदेश के शीर्ष राजनेताओं की संलिप्तता जब सामने आयी तब सारे भ्रष्ट तत्वों ने सरकार के तख्ता पलट का षडयंत्र रच दिया। प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त हो गयी। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जा पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन निरस्त कर दिया। खो को पद त्यागना पड़ा। इस परिस्थिति में खो के पास दो विकल्प थे एक था अदालत में लड़ाई लड़ने का और दूसरा था सारी स्थिति को प्रदेश की जनता के सामने रखने का। उन्होने दूसरा विकल्प चुना एक 60 पन्ने का विस्तृत नोट लिखा। 8 अगस्त को यह नोट लिखा गया और 9 अगस्त को वह अपने आवास पर मृत पाये गये। यह हत्या थी या आत्महत्या अभी तक स्पष्ट नही हो पाया है लेकिन उनका यह हस्ताक्षरित पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिये इस नोट को पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

गंताक से आगे.....

नेताओं और विधायकों ने इसे अपना धंधा ही बना लिया है। यही सब कारण है कि राज्य में सरकार बार-बार बदलती है। जिसका नुकसान आम जनता और राज्य को उठाना पड़ता है। सरकार बदलने से बहुत सी योजनाए और प्रोग्राम बदलते है। जिससे विकास की राह और गति रूक जाती है, जबकि ऐसा नही होना चाहिए। इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुखी हूं। मैं लोगों में जागरूकता, विचार-विमर्श और एहसास दिलाना चाहता हूं कि हर कोई इन बातों को समझे और इन पर विचार कर अपनी सोच-समझ, कर्म-कार्य, हाव-भाव और नीतिओं को बदले। ताकि हम अपने राज्य और देश के सुनहरे भविष्य की कामना को साकार कर सके।

आज जनता को मंत्रियों और विधायको से पूछना चाहिए कि 5 सालों में उनके पास धन-संपति जमीन-जायदाद, बंगला-गाड़ी इतने कम समय में कहां से आये? जनता को भ्रष्टाचार पहचानना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि विधायक या मंत्री बनने से पैसा बनाने का Certificate मिल जाता है क्या? या पैसा छापने की फैक्ट्री और मशीन मिल जाती है क्या? मै मानता हूं कि जनता जनार्दन है और उन्हे सच को पहचानना चाहिए।

खांडू-दोरजी खांडू सेना के एक आम सिपाही थे, विधायक बनने के बाद भी उनके पास कुछ भी नही था। लेकिन जब वह रिलीफ मन्त्री बने, तब उन्होंने सरकारी पैसों को भारी 50% में बेचकर अपनी जेब भरना शुरू कर दिया।

जब वह पावर मन्त्री बने तब उन्होंने पूरे अरूणाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट योजना में नदी नालों को बेचकर पैसे गबन किये। उन्होने 30 लाख per MW के हिसाब से कंपनी को प्रोजेक्ट बेचकर मोटी कमाई की थी।

उसके बाद उन्होने गेंगो आपंग की सरकार को गिरा दिया और खुद मुख्यमन्त्री बन गये।

आज उनके तवांग, ईटानगर, गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकत्ता और बैंगलोर में बड़े-बड़े आलीशान मकान और बंगले है। बहुत से फार्म हाउस, होटले और commercial states है। आज लोग कहते हैं कि, दोरजी खांडू ने घोटाले कर 1700 करोड़ रू से ज्यादा धन कमाया, संपत्ति बनाई। लेकिन आज वो तो इस दुनिया में नहीं है। तो यह धन दौलत क्या काम आया? इससे जिन्दगी तो नहीं खरीद सकते? और न ही इस धन दौलत को दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर किसी को अपनी मेहनत मजदूरी कर अपनी किस्मत में जो है और अपनी जरूरत तक ही कमाई होना काफी है।

"Social Media (Facebook & whatsapp) पर लोग कह रहे और पूछ भी रहे हैं कि पेमा खांडू के पास आज के दिन में 1700 करोड़ नकद पैसा है और यह पैसा कहां से आया?

जनता यह खुद सोचे और विचार करे कि मन्त्री बनने से पहले उनके पास क्या था? और आज क्या है? उनके पास पैसा बनाने की कोई मशीन या फैक्ट्री तो नहीं थी और न ही कुबेर का कोई खजाना था। फिर इतना पैसा कहां से आया?

यह जनता का पैसा है, और मन्त्री बने यह लोग इसी पैसों का रोब दिखाकर जनता को डराते धमकाते हैं, और लोग इसके पीछे भागते हैं। आज जनता को इसका जवाब मांगना चाहिए और इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का पूरा खर्चा नबाम तुकी और पेमा खांडू ने मिलकर उठाया था। जिसका फैसला मेरे खिलाफ दिया गया था। यह रकम करीब 90 करोड़ की थी।

इस केस में मेरे हित में फैसला देने के लिये मुझे भी फोन किया गया था और मुझसे भी 86 करोड रू की मांग की थी। लेकिन मुझे और मेरे जमीर को यह मंजूर नही था। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कमाया नहीं और न ही राज्य को कुंए में गिराने की ईच्छा थी, मैं अपनी सरकार को बचाने के लिए सरकार और जनता के पैसों का क्यों दुरूपयोग करूं? इसका नतीजा आप सबके सामने है।

तवांग में आज से नही बल्कि सालों से विकास के नाम पर बहुत सा पैसा जा रहा है, लेकिन वहां पैसो का दुरूपयोग हुआ है और नेताओं ने अपनी जेबें भरी है।

2005 से रिलिफ फण्ड के नाम से बहुत पैसा जा रहा है। जिसकी जनता RTI से जानकारी ले सकती है। वही प्रोजेक्ट का दौरा करने पर कुछ नहीं मिलेगा।

टूरिज़्म के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है।

Urban Development के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है।

पावर के क्षेत्र में बहुत पैसा जा रह है। Kitpi hydro project के नाम से वर्ष 2010-11 में बिना saction और बिना काम के 27 करोड़ रूपये LOC किया गया, बिना बिल के पैसों को उठाया गया। उन पैसों का गबन किया गया।

इसी प्रकार Khantang और mukto hydro project के नाम से भी 70 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का झूठा बिल बनाकर गबन किया गया।

PDS Scam की असली जड़ नबाम तुकी और दोरजी खांडू है, जिन्होंने इस घोटाले की शुरूआत की थी। गेंगो अपांग जब मुख्यमन्त्री थे, तब राज्य में PDS का साल भर का काम 61 लाख रूपये में ही हो जाता था। गेंगो अपांग इसे सुधारना चाहते थे, पर सभी ने मिलकर उन्हे फसाया था।

जब नई सरकार बनी तब नबाम तुकी food and civil supply minister थे, तुकी ने ही राज्य में Head Lead के काम की शुरूआत की थी।

एक साल में ही PDS का काम 68 करोड़ रूपये तक बढ़ गया था, वही अगले ही साल यह काम 164 करोड़ रूपये तक बढ़ गया था। इस पर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार पर शक हो गया था और उन्होंने FCI को Enquiry & Audit करने का आदेश दिया, जिसमें Enquairy के दौरान राज्य सरकार को दोषी पाया गया, इस पर केन्द्र सरकार ने payment रोक दिया था।

PDS में घोटाला मिलने पर गेंगो अपांग ने Head Load के काम को बंद करवा दिया जिससे यह Payment यही रूक गया था।

PDS योजना GOI की Scheme थी जिसका पैसा FCI के Through से GOI से ही आता है और राज्य सरकार Fast Track Court, Session Court High Court & Supreme Court में भी कई बार जान-बुझ कर हारती गयी। दोरजी खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोर्ट में जान-बुझ कर सही record और जानकारी नहीं दी थी और बहुत सी Files & Records को मिटा दिया गया। जहां 50% share लेकर दोरजी खांडू ने ही Private Parties को राज्य सरकार के खिलाफ court Decree लेने मे मदद की थी और पहला PDS Payment इन्ही के समय में हुआ था।

जब (30 नवम्बर 2011) तक मैं Finance Minister था। तब Court Decree होने पर भी मैने और Setong Sena us Payment नहीं दिया था। केवल PDS payment देने के लिए ही मुझे नबाम तुकी ने Finance Ministery से हटाया था। मेरे Finance Ministery से हटते ही Chouna Mein Finance Minister बने और 4 दिनों के अन्दर ही 4.12.2011 को Nabam Tuki और Chouna Mein ने PDS का Paymnet दिया था।

अपने 23 साल के राजनीति जीवन मे मैने PDS Bill की Photocopy पर Payment होते पहली बार देखा था। जबकि ऐसा किसी और राज्य में नहीं होता है।

600 करोड़ रूपये से भी ज्यादा पैसों में PDS का payment हुआ। इन पैसों को राज्य के Development Fund से दिया गया था। जबकि यह GOI की Scheme थी और GOI ने इसमें घोटाला देखकर एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया।

इस घोटाले के मुख्य दोषी Dorjee Khandu, Pema Khandu Nabam Tuki & Chouna Mein ही हैं

जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मैंने इस case की जांच की और राज्य सरकार को बचाने की कोशिश की थी। हमारी सरकार ने FCI के खिलाफ केस किया। FCI के खिलाफ Case किया GOI के खिलाफ case किया और सुप्रीम कोर्ट में Review Petition भी दायर की थी। मुझे इस बात का बहुत ही दुःख है कि राज्य को पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने मिलकर मिटा दिया। जिसकी वजह से मै राज्य सरकार को इस case में बचा नहीं सका। इस case Chief Secretary, Secretary Directors & Officeers को जेल तक होने वाली है।

आज भी इस PDS case में Genuine Contractors को Land Rute का पैसा नहीं मिला जबकि उन्होने सही tender भरा और सही काम भी किया। Fair Price Shop तक चावल भी पहुंचाया था। वही दूसरी ओर PDS scam में पेमा खांडू का नाम शामिल है। जिसका आज भी होईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में case चल रहा है।

SGSY चावल के घोटाले में भी दोरजी खांडू और पेमा खांडू खुद घोटाले में फसे हुए है। आज इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर दोरजी खांडू जिंदा होते तो अभी जेल में होते और पेमा खांडू आज मुख्यमंत्री है फिर भी इस केस में बहुत जल्द जेल में जायेंगे। SGSY योजना ही गलत थी। क्योकि इस योजना में एक भी दाना चावल गांवों में नहीं पहुंचा और न ही लोगों को चावल मिला यह सारा चावल असम में बेचा गया वह एक घोटाला है। जो चावल गया ही नही उसके लिए झूठा Transporration बिल बनाया यह दूसरा घोटाला है। इन बाप-बेटों ने घोटालों पे घोटाले किये है।

इस घोटाले पर कोई भी साधारण लड़का या जनता पेमा खांडू से आज पूछे की इस योजना में केन्द्र से कितना चावल आया? किसके लिए आया? कब आया? और किसको चावल मिला और इस चावल घोटाले में कितने पैसों की कमाई हुई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सवालों के जवाब पेमा खांडू के पास नहीं है। उनका सिर्फ एक ही जवाब है उनके पास आज ढ़ेर सारा नगद पैसा है। जिनके पीछे जनता भागती है। लेकिन यह बात जनता को जानना और समझना चाहिए कि यह इन सब घोटालों का पैसा है। यह कांग्रेस पार्टी की नीति है कि कमजोर, भ्रष्ट, बदमाश और लुटरों को ही प्राथमिकता देते है और उन्हें नेता बनाते है ताकि वह सरकार और जनता के पैसों को मिलकर लूटकर कांग्रेस आला कमान को पहुंचाते रहे। जिससे उनकी कमाई होती रहे।

वही नेताओं और विधायकों को इन बातों का पता होते हुए भी आज तक कुछ नहीं किया गया। क्योकि विधायकों और मंत्रियों को ऐसे ही भ्रष्ट मुख्यमंत्री चाहिए जैसे PK thonguns Gegongs Apang, Dorjee Khandu , Nabam tuki and Pema Khandu जिसके खिलाफ CBI चल रहे है। होईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे है। क्योकि यह लोग ही अधिकारी, न्यायालय और जजों को पैसा दे सकते है।

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के समय मे मैने हर जिले को SIDF, Re और NP (non&plan) में बराबर फण्ड दिया था जिसके बाद भी पेमा खांडू और उसके दोनों भाईयो ने एक प्रोजेक्ट में मुझसे तत्काल (Emergency) 6 करोड़ रूपये hydro project Maintainace के लिए मांगे थे जिसे मैने पूरा दिया। इन पैसों को अभी काम मे ही नही लिया गया था। कि उन्होने flood relief में मुझसे पैसे मांगे थे। उन्होने 10 करोड़ की और मांग की थी। उस समय राज्य में flood reliefs के लिए कुल 14 करोड़ रूपये ही थे। फिर भी मैंने सबसे ज्यादा 6 करोड रूपये तवांग में दिए थे।

अरूणाचल जैसे छोटे राज्य में हमारे पास NDRF में केवल 51 करोड़ रूपय ही थे। जिसमें से हम 20 जिलों और 60 विधायकों को जरूरत होने पर देना था और उस समय में बहुत से जिले बाढ़ से पीड़ित थे। मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे हर जिले और हर 60 विधायकों को बराबर देखना था। इस पर फिर से पेमा खांडू और उसके दोनो भाईयो ने मुझसे 100.88 करोड़ रूपये की मांगे की थी। मैने उन्हें राज्य की स्थिति के बारे में बताया और समझाया लेकिन इस बात से वह मुझसे नाराज हो गये और उन्होनें मेरे खिलाफ चाल चल दी थी।

एक और बात मै बताना चाहूंगा की 2 मई को तवांग में हुई गोलाबारी की घटना के पीछे भी पेमा खांडू का ही हाथ है। गिरफ्तार हुए लामा आदमी को पेमा खांडू ने बेल नहीं देने दी थी। इस घटना के जिम्मेदार भी पेमा खांडू ही है। DC और SP तवांग की हुई फोन वार्ता में पेमा खांड का जिक्र है। तवांग में हुई गोलावरी की घटना में पेमा खांडू ने DC, ADC और Magistrate को बल न देने का दबाब दिया था। मुझे और Chief Secreatary को इस घटना पर अधिकारियों पर कार्यवाही न करने पर भी दबाव डाला था। उसके बावजूद भी हमने कार्यवाही की शायद इस बात का उन्हे बुरा लगा हो। इस घटना में कितने लोगों की जाने गयीं कितने लोग गंभीर रूप से घायले हुए थे। जिनका आज भी Shillongs और gauwahti में इलाज चल रहा है जबकि मै, खुद मृतको के परिजनों से मिला। गंभीर रूप से घायलों को भी Tawang, Shillong और Gauwahati में मिलकर हर संभव मदद की थी जबकि पेमा खांडू पर इस घटना पर कोई दुख और चिंता नहीं थी। लोगों को सोचकर फैसला करना चाहिए की कौन सही और कौन गलत हैं?

– क्रमशः –

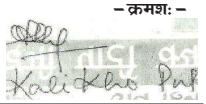

भाजपा की चार्जशीट में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य पर भी हैं आरोप

शिमला/शैल।

राज्यपाल ने सरकार के खिलाफ आये भाजपा के आरोप पत्र को अगामी कारवाई के लिये प्रदेश सरकार के सचिवालय को भेज दिया है। सरकार इस पर क्या कारवाई करती है और क्या राज्यपाल इस पर की गयी कारवाई की रिपोर्ट सरकार से मांगते हैं या नहीं इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन अभी सरकार ने इस आरोप पत्र पर प्रत्यक्षतः गंभीरता ने दिखाते हुए इसे संज्ञान लेने लायक दस्तावेज ही नही माना है। सरकार की इस प्रतिक्रिया का नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने केवल इतना जवाब दिया है कि सारे आरोप प्रमाणिक दस्तावेजों पर आधारित हैं। धूमल के अतिरिक्त भाजपा के किसी भी अन्य नेता ने इस पर कुछ नही कहा है।

इस परिदृश्य में भाजपा इस आरोप पत्र को आगे जन चर्चा में कैसे लाती है। इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में ही होगा। दूसरी ओर मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने आरोप पत्र आने से पहले ही यह चेतावनी दी थी कि यदि बेबुनियादी और प्रमाणों के बिना उन पर आरोप लगाये गये तो वह मानहानि का दावा दायर करेंगे। अब आरोप तो लग गये हैं इन पर आगे सरकार और स्वयं प्रतिपक्ष क्या रणनीति अपनाते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। इस आरोप पत्र पर जनता की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके लिये आरोप पत्र को पाठकों के सामने यथावत रखा जा रहा है।

इस कड़ी में सरकार में हिमाचल प्रदेश की पूर्व सांसद रानी प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलूवालिया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ख्वाजा खलीलुल्ला,दुग्ध प्रसंघ के अध्यक्ष चेतराम, लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर और उनके विभागों पर लगे आरोप सामने रखे जा रहे हैं।

पूर्व सांसद रानी प्रतिभा सिंह भी नहीं किसी से पीछे विक्रमादित्य सिंह के कारनामे

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी व पूर्व सांसद रानी प्रतिभा सिंह बताये कि:

✔ वक्कामुल्ला चंद्रषेखर की कम्पनी तारिणी इन्फास्ट्रक्चर लिमिटड में जो 3.40 लाख के शेयर थे, उनका जिक्र लोकसभा चुनाव लड़ते समय चुनाव आयोग को दिए शपथ-पत्रों में क्यों नहीं किया ?

✔ ये शेयर खरीदने के लिए धनराशि कहां से आई ?

✔ नवम्बर, 2011 में वक्कामुल्ला चंद्रशेखर से 1.50 करोड़ रू. किस उदेश्य से लिए? इसका जिक्र चुनाव लड़ते समय शपथ-पत्र में क्यों नहीं किया?

✔ आपके पति, बेटे व बेटियों के नाम से हिमाचल प्रदेश और इसके बाहर विशेषकर दिल्ली में कौन-2 सी सम्पतियां हैं?

✔ आपको अपने पति का निजी आवास हॉलीलॉज कम्पनी को किराये पर देने की क्या आवश्यकता पड़ी?

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सिर्फ राजनैतिक उत्तराधिकारी ही नहीं बलिक हर क्षेत्र में उनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपनी बहन अपराजिता सिंह के साथ मिलकर मई, 2011 में ''मैपल डेस्टीनेशन एण्ड ड्रीम बिल्ट'' नाम से कम्पनी बनाई जिसमें 95 प्रतिशत शेयर उनके और 5 प्रतिशत शेयर उनकी बहन के थे। कम्पनी ने और तो कोई काम नहीं किया बल्कि अगस्त 2011 में दिल्ली के डेरा मण्डी महरौली में एक फार्म हाउस खरीदा। यह फार्म हाउस पिचेश्वर गदे और सुनीता गदे दम्पति से खरीदा और वक्कामुल्ला चंद्रशेखर ने फार्म हाउस की रजिस्ट्री पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। आयकर विभाग द्वार छानबीन के दौरान पिचेश्वर गदे ने बताया कि उन्होनें यह फार्म हाउस 6.61 करोड़ रू. में बेचा और रजिस्ट्री मात्र 1.20 करोड़ में हुई तथा 5.41 करोड़ रू. उन्हें वक्कामुल्ला चंद्रशेखर ने नकद दिए। यही नहीं वक्कामुल्ला चंद्रशेखर की कम्पनी तारिणी इन्फास्ट्रक्चर लिमिटड में 10 रू. प्रति शेयर के हिसाब से 3 लाख शेयर हैं। इसलिए विक्रमादित्य सिंह बतायें कि :-

✔ उनके पास ये धनराशि कहां से आई?

✔ उन्होनें ये फार्म हाउस किस उदेश्य से खरीदा?

✔ उनका वक्कामुल्ला चंद्रशेखर से क्या सम्बन्ध है?

मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव सुभाष आहलूवालिया के काले कारनामे

मुख्यमंत्री के निजी सचिव रिटायर्ड आई.एस.अधिकारी सुभाष आहलुवालिया के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति व ''हवाला'' जेसे मामलों में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है, कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। लिखित प्रश्नो के उत्तर भी पूछे गए परन्तु उन्होनें जवाब नहीं दिया। पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी आहलुवालिया मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निजी सचिव रहे थे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रिटायर होने के बावजूद इस बार फिर उन्हें उसी पद पर कार्यरत रखना पहले से ही संदेह के घेरे में था। इनकी देखरेख में तबादला माफिया जिस तरह से पूरे प्रदेश में सक्रिय है, उसे सब जानते हैं, परन्तु इस बार जिस तरह से इनके माध्यम से अनेक विभागों, बोर्डो, निगमों व बैंकों में भ्रष्ट कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है।

✔ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ अदालतों में चले मामलों में नामी वकीलों के लिए सरकार के कर्णधारों के माध्यम से भारी भरकम फीस का बंदोबस्त करना इनकी मुख्य जिम्मेदारी है जिसके बदले मुख्यमंत्री इन्हें अनेक तरह से फायदे पहुंचाते रहते हैं। अभी पिछले दिनो इनकी धर्मपत्नी मीरा वालिया को रिटायरमैंट के दूसरे दिन निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की सदस्या बनाना इसका एक उदाहरण है।

✔ वरिष्ठ अधिवक्ताओं व चार्टड अकाऊंटैंट ने भारत सरकार के मिल मंत्रालय में Special Investigation Team on Black Money के Member Secretary को लिख पत्र दर्शाता है कि सुभाष आहलूवालिया और उनकी धर्मपत्नी ने बेहिसाब आय से अधिक सम्पतियां अर्जित की है।

हि.प्र. वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ख्वाजा खलीलुल्ला के कारनामे

महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखे गए पत्र के अनुसार आरोप है कि

✔ शिमला के मिडल बाजार की बेशकीमती दुकान पर ख्वाजा खलीलुल्ला साहब ने कब्जा कर रखा है जिसकी रैवन्यू एन्टरीज को कथित तौर पर बदला गया है व मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है।

✔ आरोप है कि उपरोक्त साहब ने मॉल रोड़ के बेशकीमती भवन नं. 70/1 की रैवन्यू एन्टरीज को प्रभावित किया है जिस पर शमीम भट्ट नाम की महिला ने न्यायालय में मामला दर्ज किया है।

✔ उपरोक्त साहब पर मुजीब हुसैन ने फौजदारी मुकद्दमा दायर कर रखा है और आरोप लगाया है कि स्व.नजीर हुसैन को उक्त व्यक्ति तंग किया करते थे जिनका मृत शरीर दिल्ली में पाया गया था।

उपरोक्त तीनों मामलो का विस्तृत पत्र संलग्न है। सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति के उपर वक्फ बोर्ड की जमीन, मकान हड़पने के आरोप लगे हैं ऐसे व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाना क्या जरूरी है? सरकार की व मुख्यमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की अरबों की सम्पति रखने वाले बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया।

दुग्ध प्रसंघ के अध्यक्ष चेतराम भी दूध के धुले नहीं

मण्डी जिला के सिराज विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित चेतराम पहले तो हिमाचल प्रदेश प्रसंघ के निदेशक गैर कानूनी ढंग से बने, क्योंकि उस समय उन्होनें रू. 1,86,369.50 की धनराशि हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ को अदा करनी थी, परन्तु सरकार के दबाव में शिकायत करने के बावजूद उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया।

फिर हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ का तथा एच.डी.एफ.सी.बैंक का डिफॉल्टर होने के बावजूद वीरभद्र सरकार ने उन्हें हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ का चेयरमैन बनाकर नैतिकता की धज्जियां उड़ाई। इस पद पर बैठने के बाद जिस तरह से उनकी सम्पति में वृद्धि हुई वह भी जांच का विषय है।

आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को आतुर चेतराम किस तरह सरकारी कायदे-कानून को ठेंगा बता रहे हैं। उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जिस रा.व.मा.पा. के साईस ब्लॉक का शिलान्यास पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक जयराम ठाकुर ने 2012 में कर दिया था, जनाब उसका दोबारा शिलान्यास करने पहुंच गए। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर मारपीट की और उल्टा भाजपा कार्यकर्ताओं पर केस बना दिया। अभी विधायक बने बिना उनका यह हाल है तो विधायक बन कर क्या करेंगे

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में हो रही घांधलियां

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने में भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा में जिस उम्मीदवार ने टॉपर किया, उस उम्मीदवार को साक्षात्कार में 17 प्रतिशत अंक दिए गए अर्थात 150 अंकों में से 27 अंक मिले। लिखित परीक्षा में 850 में से 527 अंक प्रथम स्थान और साक्षात्कार में 17 प्रतिशत अंक। यह तो मात्र एक उदाहरण है। प्रदेश की सभी लिखित परीक्षाओं के बाद हुए साक्षात्कार में भारी भरकम भ्रष्टाचार एवं भाई - भतीजावाद हुआ।

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद

✔ विगत वर्ष में करूणमूलक आधार पर कुछ विभागों ने कर्मचारी चयन आयोग में लिपिक के चार पद भरने हेतु नाम प्रस्तावित किए थे, जिन पदों की नियुक्ति लिपिक पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार होनी चाहिए थी जिसके लिए नियुक्ति से पहले टंकण परीक्षा पास करना अनिवार्य है लेकिन हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में इन नियमों को ताक पर रखकर करूणामूलक आधार पर चार पद भरे गए क्योंकि उन चार अभ्यर्थी में से दो अभ्यर्थी संजीवव कुमार एवं सुनील कुमार, जोकि सचिव (परीक्षा नियंत्रक) हि.प्र. चयन आयोग में नियुक्त, के गृह नगर से सम्बन्ध रखते हें। इन अभ्यर्थियों को टंकण न जानते हुए भी टंकण परीक्षा में उर्तीण घोषित कर इस कार्यालय में नियुक्ति दे दी गई और ये लोग भाई-भतीजावाद का पर्याय बने हुए हैं। इन नियुक्तियों के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी ये अभ्यर्थी टंकण करने में असमर्थ हैं, जोकि लिपिक पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमो का सीधे रूप से उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को चुनौती देकर मांग की है कि इन अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा तुरंत वीडियो ग्राफी के माध्यम से ली जाए ताकि सच जनता के सामने आ सके।

इस सम्बन्ध में कुछ रोचक एवं तथ्यात्मक पहलू पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ला चुके हैं। जिसमें कर्मचारी चयन आयोग में नियुक्त कर्मचारियों के बच्चों के परीक्षा केन्द्रों को बदल कर उनके अभिभावकों की परीक्षा केन्द्रों में तैनाती के अनुरूप परीक्षा दिलवाई गई और वही अभ्यर्थी बाद में चयनित होकर नियुक्त हुए।

हाल ही में कनष्ठि प्रशिक्षक खेल की भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों का चयन हुआ जिनके लिए भर्ती नियमो एवं मापदण्डों और चयन प्रक्रिया तक को उनकी योग्यता के अनुरूप निर्धारित किया गया और सरकार के चहेतों को उपरोक्त पदों पर तैनाती दे दी गई जिससे पात्र और प्रतिभावान अभ्यर्थी चयन से वंचित रहे और प्रदेश के खेलों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ तथा इन अभ्यर्थियों को बेरोजगार होने के बावजूद न्याय के लिए न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

इस सारे गोरख धंधो में सरकार की तबादला नीति भी संदेह के घेरे में है जिसमें एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी सरकार की समान्तर अवधि से कर्मचारी चयन आयोग में तैनात है और इस गोरख धंधो में अपनी कर्तव्य निष्ठता की बजाए सरकार की जी हजूरी और चमचागिरी में प्रयासरत है तथा ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस आंच में जलना पड़ रहा है जिससे इस कार्यालय के अस्तित्व व कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है तथा पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों में हुई तृतीय श्रेणी के पदों की नियुक्तियां भी अछूती नहीं है।

Kay Cee Pharma

C/O. Sh. Arun Kaushal, Vill.Ajouli, Near Ajouli Mor
Pin-174301, Teh. & Distt., Una (H.P.)

(PHARMACEUTICAL DEALERS & INSTITUTIONAL SUPPLIERS)

Authorised Suppliers of:

- M/S ELANCO INDIA PVT.LTD.
- M/S VETOQUINOL INDIA ANIMAL HEALTH PVT.LTD.
- M/S LYKA LABS LTD.
- M/S ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD.
- M/S THE HIMALYA DRUG COMPANY.

Website:www.hptechboard.com. **email :**techboard-hp@nic.in , **Phone :** 01892-222662, **Fax:** 01892-225755

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

मोदी सरकार पर हमले से उखडी भाजपा का वॉकआऊट

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मोदी सरकार को भेजी 191। करोड़ की सिंचाई योजनाओं पर मोहर न लगने पर वीरभद्र सरकार के मंत्री ने सदन में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं भाजपा सदस्यों ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस मसले पर भाजपा सदस्यों ने सरकार पर अधूरी योजनाएं भेजने व सदन को सही जानकारी ने देने की दलील देकर वॉकआउट कर दिया।

सदन में इस मसले पर कांग्रेस व भाजपा सदस्यों के बीच जमकर नोकझोंक हुई लेकिन नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा।

सिंचाई मंत्री के हवाले से रविंद्र सिंह व महेश्वर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सदस्यों की गैरहाजिरी में सदन में भाजपा सदस्यों को चैलेंज कर दिया कि अगर उन्होंने इन परियोजनाओं को लेकर कोई भी गलत जानकारी दी हैं तो वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ले के आए। सब कुछ रिकार्ड पर है। सरकार ने सिंचाई योजनाओं की डीपीआर भेजी हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव आईपीएच ने दो चिट्ठियां भी लिखी लेकिन मोदी सरकार की ओर से चिटिठयों को मिलने तक की जानकारी नहीं दी हैं। भाजपा सदस्यों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये आए दिन अखबारों में सुर्खियां बटोरते रहते हैं कि वीरभद्र सरकार डीपीआर नहीं भेज रही हैं। सरकार ने डीपीआर भेजी हैं।

कौल सिंह ने मोदी सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने 1329 करोड़ की सात मीडियम सिंचाई परियोजनाओं के अलावा 118 लघु सिंचाई व 6 कमांड एरिया सिंचाई योजनाओं की डीपीआर भेजी थी। इनमें से केवल एक योजना पर आपतियां लगाकर वापस सरकार को भेजी हैं बाकी योजनाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक भी पैसा हिमाचल को नहीं भेजा हैं। कौल सिंह ने सदन में कहा कि मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं कर रही हैं। अगर सरकार की डीपीआर में खामी हाती तो मोदी सरकार आपतियां भेजती लेकिन एक परियोजना को छोड़ कर कोई आपति भी नहीं लगाई हैं। जिस प्रीणी से बिजली महादेव तक की परियोजना पर आपति लगाई हैं वहां भी पानी के सोर्स को लेकर विवाद हैं। मोदी सरकार ने कहा कि इसे स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से पास कराके भेजें। सरकार इस पर काम कर रही हैं। उन्होंने महेश्वर सिंह पर भी तंज कसा व कहा कि ये विवाद हो सकता हो महेश्वर सिंह ने ही खड़ा करवाया हो।

हिलोपा से भाजपा सदस्य बने महेश्वर सिंह ने कहा कि विवाद को पहले क्यों नहीं सुलझाया गया। आधी अधूरी योजनाएं भेजोगे तो वो कैसे मंजूर होंगी। इसी तरह भाजपा विधायक महेंद्र सिंह ने भी सरकार को घेरने का प्रयास किया व प्रक्रिया का सवाल उठाया।

कौल सिंह ने केंद्र को भेजी डीपीआर का ब्योरा देना शुरू किया तो बीजेपी सदस्यों ने कहा कि ये उनकी समय की डीपीआर हैं। कौल सिंह ने महेंद्र सिंह की ओर मुखातिब होकर कहा कि 'ट्राई टू अंडरस्टैंड'।

महेश्वर सिंह ने सरकार से जानना चाहा कि जिन अफसरों ने आधी अधूरी परियोजनाएं भेजी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। कौल सिंह ने कहा कि आपतियां बाद में आती हैं। भाजपा विधायक रविंद्र रवि को कौल सिंह ने कन्फयूज बताया था इस पर रविंद्र सिंह रवि ने पलटवार किया कि कन्फयूज वो नहीं सरकार हैं। अगर वीरभद्र सरकार अधूरी योजनाएं भेजकर गलत काम करेंगी तो मोदी सरकार आंख मूंद कर थोड़े ही न बैठी हैं।

इस बीच स्वां नदी का मसला भी उठा । कौल सिंह ने इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा व कहा कि मोदी सरकार ने बैकट्रैक किया है। स्वां नदी पर प्रदेश सरकार ने अपने बजट से पैसा लगाया हैं। भाजपा सदस्यों ने कहा कि जहां से काम होना था वहां से काम नहीं किया गया।

उधर, कांग्रेस के विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि 30 नवंबर2016 तक विभिन्न ब्लाकों में 395 करोड़ रुपया पड़ा हैं जो खर्च नहीं हुआ हैं। संजय रतन ने कहा था कि ब्लॉक में सीमेंट नहीं मिल रहा हैं। उन्होंने खाद्य आपूर्ति मंत्री जी एस बाली को इशारों इशारों में लपेटते हुआ कहा कि सीविल सप्लाई कारपोरेशन तीन तीन-चार चार महीने तक सीमेंट मुहैया नहीं करा पा रहा हैं। इसलिए खुले बाजार से सीमेंट खरीदने की इजाजत दी जाए।

मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि खुले बाजार में सीमेंट की कीमतें ज्यादा हैं ये संभव नहीं हैं। 38 करोड़ की मांग की थी लेकिन 10 करोड़ का ही सीमेंट मिला। गौर है कि सिविल सप्लाई कारपोरेशन बाली के अधीन हैं।

भाजपा विधायक बिंदल ने प्लानिंग के हैड में पैसे पड़े होने का मसला उठाया व कहा कि सिरमौर में 21 करोड़ रुपया पड़ा हुआ हैं। डीसी व बीडीओ से 15-15 बैठकें हो चकी हैं लेकिन 50 हजार रुपए भी, खर्च नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि इस बावत बीडियो व डीसी को निर्देश दिए जाएंगे।

उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर भी पूरक सवाल पूछा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने भी खर्च न हुए पैसे को लेकर कहा कि अरबों रुपया पड़ा हैं। इस बीच में मुख्यमंत्री वीरभद्र बोल पड़े अरबों। अरबों नहीं हैं। धूमल इस तरह टोके जाने पर मुख्यमंत्री पर पलटवार किया कि पांच दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने उसे भी एक टर्म में गिन लिया। सीएम से पूछा कितने करोड़ का होता हैं एक अरब।

धूमल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कहलवा दिया कि प्रदेश खुला शौच मुक्त हो गया हैं। अवार्ड भी मिल गया हैं। उन्होंने कहा कि जो पैसा ब्लाकों में पड़ा हैं उसे स्वच्छता अभियान के तहत खर्च किया ताकि जो खुले शौच को लेकर जो झूठा दावा किया है। उसे सच्चा किया जा सके।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस तरह घेरे जाने पर तुरंत बोल पड़े ये हिमाचल की उपलब्धि हैं। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड मोदी सरकार ने दिया हैं। मोदी सरकार की टीम यहां आई थी मुआयना कर के गई उसके बाद आपकी केंद्र की सरकार ने दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हो सकता है कि कहीं पर त्रुटि रही हो इसके लिए एक महीने में काम करा लिया जाएगा।

इएसआई अस्पताल प्रकरण

कौल सिंह और धूमल ने खोले राज-महिला स्वास्थ्य सचिव के रोने का हुआ खुलासा

शिमला/शैल। मंडी के नेरचौक में बन रहे इएसआई अस्पताल के मसले पर सदन में राजनीति की आंच से एक दूसरे को तपाने की कोशिश में सरकार व विपक्ष ने हैरान करने वाले राज खोले।

सदन में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कई अनजाने पहलुओं को सार्वजनिक किया।

धूमल ने खुलासा किया कि नेरचौक के इस इएसआई अस्पताल की अधिसूचना वीरभद्र सिंह की तत्कालीन सरकार ने बैकडेट से की थी। धूमल ने सदन में कहा कि इसकी चुनाव आयोग में शिकायत हुई। बाद में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो स्वास्थ्य सचिव उनके पास 'रोई' व कहा कि उनसे ये मजबूरी में कराया था। हमने वेव ऑफ कराया। धूमल ने कौल सिंह को ये भी याद दिलाया कि 'आप जानते हैं कि विरोध करने वाले लोग कौन थे।

मंत्री कौल सिंह ने सफाई दी कि अधिसूचना बैकडेट से हुई होगी ये पता नहीं हैं, सचिव ने की होगी।

इससे पहले कौल सिंह ने इएसआई अस्पताल को लेकर गुलाब सिंह ठाकुर की ओर से पूछे सवाल के जवाब में कहा कि इस अस्पताल को चलाने में देरी मोदी सरकार के लेबर मंत्रालय की वजह से। कौल सिंह ने बीते रोज भी मोदी सरकार पर हमला बोला था। कौल सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान इस अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन लेबर मंत्री आस्कर फर्नांडीस ने किया। लेकिन उसी दिन आचार संहिता लग गई। बाद में केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आ गई और लेबर मंत्री तोमर ने सरकार को अवगत कराया कि सरकार ने इएसआई अस्पतालों को न चलाने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया हैं। कौल सिंह ने कहा कि हमने चिट्ठी लिखी कि राज्य सरकार इसे टेकओवर करेंगी। 'मैं मोदी सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मिला व वो इसे राज्य सरकार को देने को तैयार हो गए। हमने अब तक आठ बिल्डिंग टेकओवर कर ली हैं।

उन्होंने कहा कि एमसीआई की टीम ने 9 व 10 दिसंबर 2016 को निरीक्षण किया था। कुछ आपतियां उठाई गई हैं। उस पर सरकार ने 10 फरवरी को रिपोर्ट दे दी हैं। बाकी खामियों को भी दूर किया जा रहा हैं। कौल सिंह ने कहा कि प्रिंसिपल, संयुक्त निदेशक समेत 335 पद भर दिए गए हैं। अगस्त में एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिला दे दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए सरकार के पास पैसा जैसे ही कॉलेज चलेगा ये खरीद की जाएगी।

कौल सिंह की ओर से क्रेडिट लेता देख नेता प्रतिपक्ष ने धूमल ने मोर्चा खोला व कहा कि कौल सिंह ने सदन को वाकपटुता से गुमराह करने का काम किया हैं। तो कौल सिंह ने चुटकी ली, 'ऐसा न बोलो'।

धूमल ने खुलासा किया कि कौल सिंह ने फर्नांडीस से कहा कि भाषण में ये भी कहना कि धूमल ने भी कहा हैं। कौल सिंह बोले, 'आपने लिख कर दिया था'।

धूमल ने कहा कि यूपीए सरकार ने फैसला लिया था कि अगर राज्य सरकारें जमीन दे देंगी तो केंद्र सरकार अस्पताल खोलेंगी। मंडी के नेरचौक में इसे खोलने का फैसला लिया गया।

धूमल ने कहा कि जब उद्घाटन किया तो संयोगवश एक ही सोफे पर बैठे थे। फर्नांडीस मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। मैनें भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इएसआई अस्पताल प्रेम कुमार धूमल के कारण मिला

कौल सिंह ने कहा कि यह कहना कि ''मैने सदन को गुमराह किया हैं ये सरासर गलत हैं।'' उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को टेकओवर करने के लिए राज्य सरकार को लेबर मंत्रालय को 250 करोड़ देने थे। लेकिन लेबर मंत्रालय ने कई शर्तें लगा दी व जो पैसा दिया जाना था उस पर 12 फीसद ब्याज की मांग की। हमने बहुत सारा पत्राचार किया व कहा कि ये सरकार के बीच का मामला है। कोई बनिए की दुकान थोड़े ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के चलने में लेबर मंत्रालय की वजह से देरी हुई है व कुछ बिल्डिंगे सरकार के सुपुर्द की हैं।

इस पर धूमल ने कहा कि पहले कौल सिंह शांत थे लेकिन हमने आईना दिखाया तो जोश में आ गए। धूमल ने कहा कि बैकडेट में अधिसूचना कराई गई। चुनाव आयोग में शिकायत हुई।

इस पर कौल सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग ने नाइंसाफी की थी। पांच महीने पहले आचार संहिता लगा दी हम चुनाव आयुक्त से मिले भी। जब हम बाहर निकल रहे तो धूमल व शांता समेत भाजपा के नेता चुनाव आयुक्त से मिलने गए। तत्कालीन चुनाव आयुक्त की निष्ठाएं किस ओर थी वो इस पर नहीं जाना चाहते।

धूमल ने फिर खुलासा किया कि आचार संहिता के बाद कांग्रेस के नेता हॉलीकाप्टर से दिल्ली जाते रहे। शिकायत हुई तो चुनाव आयोग ने ये पैसा पार्टी के खाते से वसूलने के आदेश दिए। इस बीच कौल सिंह ने कहा कि हमने अदा किया। धूमल बोले, अदा तो करना ही था जब आदेश हो गए थे।

धूमल ने ये जानना चाहा कि हमीरपुर व चंबा के मेडिकल कॉलेज कब शुरू होंगे। कौल सिंह ने कहा कि हमीरपुर में शिक्षा विभाग, हिमुडा व आयुर्वेद विभाग से उनकी इमारतें लेने का मामला उठाया है। प्रक्रियाएं पूरी होने पर इनको चला दिया जाएगा। कौल सिंह ने फिर यूपीए सरकार को क्रेडिट देने की कोशिश करते हुए कहा कि चंबा, हमीरपुर व नाहन के मेडिकल कॉलेज उनके आग्रह पर तत्कालीन केन्द्रिय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद मंजूर किए।

वीरभद्र पर भारी पड़े रणधीर लेकिन फारखा पर लिया कड़ा स्टैण्ड

शिमला/शैल। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में मुख्यमंत्री व मंत्रियों के दिल्ली दौरों को लेकर पूरे सवाल के मसले प्रदेश सरकार को घेर दिया। उन्होंने प्रश्नकाल के बाद प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत कहा कि 2014 में प्रश्न पूछा था कि 1 जनवरी 2013 से अक्तूबर 2014 तक मुख्यमंत्री व मंत्रियों के दिल्ली प्रवास का ब्योरा दें। लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया हैं। हर बार यही जवाब आता हैं कि सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।

उन्होंने स्पीकर बृज बिहारी बुटेल से आग्रह किया कि सरकार को आदेश दे कि सूचनाएं मुहैया कराई जाए। इस बीच उनकी स्पीकर के साथ तनातनी भी हो गई। स्पीकर कहा कि वो इस मामले में सरकार से जवाब लेंगे। लेकिन रणधीर शर्मा इस बात पर अड़ गए कि सरकार से सदन में पूछा जाए। इसके लिए स्पीकर राजी नहीं हुए।

मामला उलझता देख मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह दखल दिया व कहा सत्र के बाद विधायक को सूचनाएं मुहैया करा दी जाएगी। रणधीर शर्मा ने कहा इसी सेशन में दी जाए।

आखिर में मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा व उन्होंने कहा कि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं हैं ये ओपन है। सूचना क्यों नहीं दी गई ये उन्हें मालूम नहीं हैं। लेकिन इसी सेशन में ये सूचना सदन में दे दी जाएगी। रणधीर शर्मा तब कहीं जाकर माने।

इसी के बाद रविंद्र रवि ने भी प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत मसला उठा दिया कि प्रदेश में एक नया चलन चला हुआ हैं। जूनियर अफसर को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया हैं । इस पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्ट्रांग स्टेंड ले लिया व रविंद्र सिंह से कहा कि आपका सब्जेक्ट नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी को डिमोरलाइज करने की कोशिश हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब हो कि वी सी फारका को पिछले साल पांच अफसरों को पीछे धकेल कर चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बिठा दिया था।

सीएम ने बुटेल से भी कहा कि इस मसले को विधानसभा की कार्यवाही से एक्सचेंज किया जाए।